

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /18, दिनांक 23 मार्च-2018,

--: आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-535/18 दिनांक 23.03.18 द्वारा माह मार्च-2018 हेतु न्यायिक सदस्य पीठ-गोरखपुर व सदस्य पीठ फैजाबाद की युगल पीठ फैजाबाद पीठ के वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 26.03.18 से 28.03.18 तक के लिए गठित की गयी थी। सदस्य पीठ गोरखपुर अवकाश पर हैं। अतः उक्त गठित युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए सदस्य पीठ-गोरखपुर के स्थान पर न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ प्रथम, इलाहाबाद को नामित किया जाता है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

५०

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/545/2018, तद्दिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्रभारी निबन्धक

वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।